न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री नरेन्द्र गुप्ता आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या– 11/2023

बउनवान

1. देशराज उर्फ देवराज आयु 60 वर्ष पुत्र श्री भीमसिंह, जाति राजपूत,
2. दशरथ आयु 50 वर्ष पुत्र श्री भीमसिंह, जाति राजपूत, निवासीगण ग्राम टारडा, तहसील अन्ता, जिला बारां (राज0)

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अन्ता, जिला बारां (राज0)

(रेस्पोंडेंट)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :– 1. श्री अरविन्द सिंह हाडा, अभिभाषक (अपीलांट)
2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक– 13.09.2023

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता के आदेश दिनांक 06.02.2023 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम टारडा तहसील अन्ता की आराजी खसरा नम्बर 981 रकबा 0.32 है., किस्म–गै.मु. तालाब पर अतिक्रमी मानकर 160/– रूपये अर्थदण्ड एवं 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपीलांट ने अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर विद्यमान तथ्यों एवं दस्तावेजों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेहीं का अवसर दिये बगैर किसी स्वतंत्र गवाह की साक्ष्य लिये बिना केवल मात्र हल्का पटवारी के बयानो के आधार पर अपीलांट को उक्त आराजी पर अतिक्रमी माना है। जबकि अपीलांट ने उक्त भूमि में कृषि कार्य नही किया है, इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट द्वारा तावान राशि भी जमा करवा दी है। तथा उक्त आराजियात पर [illegible] अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.02.2023 [illegible] जावें।

इस पर प्रक[illegible]या जाकर रेस्पोंडेंट [illegible]र्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभि[illegible] तलब किया गया। [illegible]ख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस हेतु प्रकरण नियत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.10.11 16:38:13 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेहीं का अवसर दिये बगैर किसी स्वतंत्र गवाह की साक्ष्य लिये बिना केवल मात्र हल्का पटवारी के बयानो के आधार पर अपीलांट को उक्त आराजी पर अतिक्रमी माना है। जबकि अपीलांट ने उक्त भूमि में कृषि कार्य नही किया है, इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट द्वारा तावान राशि भी जमा करवा दी है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.02.2023 निरस्त फरमाया जावे।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस को लेने से इंनकार कर दिया। तथा अपील में अपीलांट द्वारा स्वयं माना है कि उसने जुर्माना जमा करवा दिया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 311 निर्णय दिनांक 25.03.2022 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष की सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। तथा अपील में अपीलांट द्वारा स्वयं माना है कि उसने जुर्माना जमा करवा दिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी ख0नं0 981 रकबा 0.32 है0 किस्म गै.मु. तालाब ग्राम टारड़ा पर सम्वत् 2078 में भी अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 311 में पारित निर्णय दिनांक 25.03.2022 से बेदखल किया जाना पत्रावली में संलग्न बयान पटवारी हल्का से प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर हीं सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, अन्ता द्वारा प्रकरण संख्या 209/23 में पारित आदेश दिनांक 06.02.2023 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.09.2023 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.10.11 16:38:13 IST
Reason: SelfAttested

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर,बारां